

तारीख
हुक्म


हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो किस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

२९/५/२६

पत्रावली पेडा डुई | पत्रावली का
अवलीकन किया गया। संवर्ग निपाट
तहसीलदार काडपुरा एवं प्रमाणित है कि
र.न. ५१ व ५० काडी व प्रतिवाडी गण
के संयुक्त रवाने की आराम्नी है तथा
NH 52 एवं र.न. 50 तक जाम का मार्ग
लगभग 3-4 मीटर का रास्ता दोनों
तरफ के रवानेद्वारा डारा रोड पर दोड़
रवा है।

उक्त निष्पत्ति में यह तो प्रमाणित है कि
NH. 52 एवं र.न. 50 तक पहुँचने हेतु
मार्ग रोड पर उपलब्ध है।



उपलब्ध मार्ग

दस्तावेज प्रकरण र.न. ५१ व ५० एवं

संबन्धित है। निपाट तहसीलदार काडपुरा

संख्या संवर्ग पत्रावली एवं प्रमाणित है कि



तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व...
अहकाम ज...
हुक्म की तारीख
में जारी हुए

ख.न. 49 व 50 वाडीगा व प्रतिवाडीगा
के संयुक्त रावे की आराम्नी डी. पी. ट
तहलीबदार लाडपुरा से यह भी प्रमाणित
है कि उभयपक्षकारान के मध्य विभाजन
का वाद न्यायालय सहायक कलेक्टर श्री
में लैरकार है तथा तहलीबदार लाडपुरा
डारा dec. 2025 में विभाजन प्रस्ताव
ने चार कर न्यायालय सहायक कलेक्टर श्री
में प्रस्तुत किया हुआ है। उक्त विभाजन
प्रस्ताव में रावे का प्रावधान भी किया
हुआ है। न. अमिलेरा विरीनक डारा
अपनी रिपोर्ट में स्पष्टतया अंकित किया
गया है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के
कृम में वाडी चारा 2.51-A के तहत कोई
बागी नहीं चाहता।

उक्त विवेचन से प्रमाणित होता है कि
वाडीगा व प्रतिवाडीगा संयुक्त रावेदार
है, निम्न के मध्य विभाजन का वाद
न्यायालय सहायक कलेक्टर श्री में



अधिकारी
कोटा

जैरकार ^५ है. प्रकृष्ट में विमानन के
खान्य ही रातों की खनस्य का खनाथान
भी सस्ताबित है.

अतः यह न्यायालय उक्त पीपिलिखितियों
में कोई भी आदेश पालित किया जाना
न्यायोचित नहीं पाता।

अतः वाडीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र
अन्तर्गत 251-A आदेशों पर राशील
किया जाता है। लेखी खान्य ही वाडीगण
को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि
विमानन उपरान्त यदि मार्ग की खनस्य
का खनाथान ना हो, तो वे पुनः प्रार्थनापत्र
प्रस्तुत कर सकेंगे।

पत्रावली ^५ मल कुमार होकर दीवन्न
दफ्तर है।

५
29/5/26
सपखण्ड अधिकारी
कोटा

